न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/85/2023 दायर दिनांक 14.08.2023

उनवान

1. कालुराम पुत्र नारायण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. छोगालाल पुत्र नारायण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. जगकुबाई पुत्री नारायण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा हाल निवास चावण्डिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
4. नाथु पुत्र उदयराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. कंवरीबाई पुत्री उदयराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ मृत्तक के बजाय–
   – शंकरलाल पुत्र मियाराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।

–– वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार (भू0अ0) कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–– प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन • जिला - चित्तौड़गढ़

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांक: 06.05.2025

–:निर्णय:–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि यह कि ग्राम ईन्दरपुरा, पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 0.35 हैक्ट0, आ0सं0 22 रकबा 0.37 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.72 हैक्ट0 स्थित है। उक्त आराजीयात के साबिक आराजी संख्या 11 क्षेत्रफल 3 बीघा 6 बिस्वा थे। यह कि उक्त आराजीयात वादीगण के पूर्वजों के समय की होकर वादीगण की पैतृक सम्पति है व वादीगण के परिवार का सजरा प्रस्तुत किया।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड (जमाबन्दी) के अंकन में वादीगण का निवास ग्राम रेण का खेडा के स्थान पर राजस्व कार्मिकों की लिपीकीय भूल से केसरखेडी गलत अंकित है, वादीगण ग्राम रेण का खेडा पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन के स्थाई एवं मूल निवासी है, वादीगण अपने बाप दादाओं (पूर्वजों) के समय से ग्राम रेण का खेडा के स्थाई एवं मूल निवासी है। वादगत आराजीयात वादीगण के पूर्वजों के समय से चली आ रही पैतृक आराजीयात, मकानात आदि सभी ग्राम रेण का खेडा में ही है। सभी सरकारी दस्तावेजात में भी वादीगण का निवास स्थान ग्राम रेण का खेडा अंकित है। इस प्रकार वादगत आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादीगण के निवास केसरखेडी के अशुद्ध अंकन को शुद्ध कराया जाकर वादीगण का निवास रेण का खेडा कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़

कि वादगत आराजीयात की सह खातेदार कंवरी बाई पुत्री उदयराम गाडरी का दिनांक .2018 को देहावसान हो चुका है कवंरीबाई का एकमात्र वैध वारिस शंकरलाल वादी संख्या 5 पुत्र है। मृत्तक कंवरी बाई के शंकर लाल के अलावा अन्य कोई वैध वारिस अथवा उत्तराधिकारी नही है। कंवरीबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र वादपत्र के साथ पेश है। अतः यह घोषित कराया जाना आवश्यक है कि वादगत आराजीयात की 1/3 हिस्से की सहखातेदार कंवरी बाई के स्थान व वादी संख्या 5 शंकरलाल पुत्र मियाराम गाडरी खातेदार काश्तकार है।

अन्त में निवेदन किया कि वादपत्र की चरण संख्या एक में उल्लेखित आराजीयात के खातेदार का निवास ग्राम केसरखेडी गलत अंकित है वादीगण का निवास स्थान ग्राम रेण का खेडा है इस आशय की घोषणा का निर्णय एवं डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी सादिर फरमाई जावें।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या एक में उल्लेखित आराजीयात की 1/3 हिस्से की सह खातेदार कंवरीबाई पुत्री उदयराम गाडरी फोत हो चुकी है। कंवरीबाई के स्थान पर उनके एकमात्र वैध उत्तराधिकारी एवं वारिस शंकरलाल पुत्र मियाराम गाडरी को कंवरीबाई के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निर्णय एवं डिक्री बहक वादी संख्या 5 शंकरलाल विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे।

यह कि हर्जा खर्चा मुकदमा, मेहनताना वकील प्रतिवादी से दिलाया जावें। अन्य अनुतोष माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी वादीगण को दिलायी जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। पेरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से वादीगण का मौजा रेण का खेडा के खाता संख्या 81 में साकिन रेण का खेडा दर्ज है जबकि मौजा ईन्दरपुरा पटवार हल्का केसरखेडी के खाता संख्या 3 में साकिन केसरखेडी दर्ज रेकार्ड है। वादीगण उक्त वाद वर्णित आराजीयात में साकिन रेण का खेडा दर्ज कराना चाहते है। मौजा रेण का खेडा के खाता संख्या 81 व प्रस्तुत शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेजों से वादीगण का ग्राम रेण का खेडा के मूल निवासी होना सिद्ध होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा ईन्दरपुरा पटवार हल्का केसरखेडी के खाता संख्या 3 के आराजी संख्या 21, 22 कुल किता 02 कुल रकबा 0.72 हैक्ट0 में दर्ज साकिन केशरखेडी के बजाय साकिन रेण का खेडा दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कपासन जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
(राजेश सिवालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन